

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

20 JAN 2017
भोपाल, दिनांक

क्रमांक 325 /आर-74/2014/2/34
प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय:- लोक निर्माण विभाग के कार्य विभाग मेन्युअल के अपेंडिक्स 2.10 को विभाग में लागू किये जाने के उपरांत लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी शुद्धिपत्र/संशोधनों को विभाग में लागू किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- (1) म.प्र.शासन, लोक स्वा.यां.विभाग का आदेश क्रमांक 3611/आर-74/2014/2/34/दि. 28.07.2016.

(2) प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग भोपाल की टीप क्र.797/दिनांक 25.11.2016

-0-

मध्य प्रदेश कार्य विभाग मेन्युअल 1983 के वाल्यूम II के अपेंडिक्स 2.10, 2.10ए, 2.13, 2.13ए, 2.14 एवं 2.14ए के स्थान पर लोक निर्माण विभाग द्वारा लागू नवीन निविदा प्रपत्र अपेंडिक्स 2.10 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में संदर्भित आदेश द्वारा लागू किया गया है।

राज्य शासन एतद् द्वारा नवीन निविदा प्रपत्र विभाग में लागू किये जाने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निम्नानुसार संशोधन विभाग में भी लागू किये जाते हैं :-

1- म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग का आदेश क्रमांक एफ - 53 /16 /2012 /19/यो 1317/भोपाल/ दिनांक 28.2.2015 द्वारा नवीन निविदा प्रपत्र के आई.टी.बी.क्लॉज 22 के सब क्लॉज 22.2, कन्ट्रैक्ट डाटा के क्लॉज 29, तथा सेक्शन 3 (Conditions of Contract) के सब-क्लाज 30.3 में संलग्न प्रपत्र (Addendum-1) अनुसार संशोधन किया गया है। यह संशोधन विभाग में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।



क्रमशः - 2.

2- म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग का ज्ञाप क्रमांक आर - 46(1)/बी/19 /2015/56/भोपाल/दिनांक 19.1.2015 द्वारा निविदा प्रपत्र के सेक्शन-2 आई.टी.बी. की कंडिका 17.4 के अनुसार निविदा प्रक्रिया में भाग लेनेवाले असफल ठेकेदारों की धरोहर राशि निविदा पर निर्णय के 10 दिवस के अन्दर लौटाई जाना है-के संबंध में निर्देशित किया गया है कि भविष्य में एल-1 को छोड़कर शेष ठेकेदारों की धरोहर राशि फाइनेंशियल बिड खोलने के तुरंत बाद लौटायी जाए। इस प्रक्रिया को विभाग में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

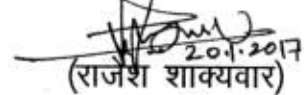
3- म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग का आदेश क्र.एफ - 53/16/2012/19/यो. /भोपाल/दिनांक 25.1.2016 द्वारा लोक निर्माण विभाग में लागू नवीन निविदा प्रपत्र अपेंडिक्स 2.10 के एनेक्जर-बी में उल्लेखित शर्त अनुसार रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। यह संशोधन विभाग में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

4- म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग का आदेश क्र.एफ 17-1 /19 /बी/2010 /भोपाल/दिनांक 08.03.2016 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निविदाओं में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा जारी लिखितें (Instrument) भविष्य में मान्य नहीं किया जाएं। यह निर्देश विभाग में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

5- म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग का आदेश क्रमांक 3125/2624/2016/19/ यो/भोपाल/दिनांक 06.06.2016 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत वर्क कान्ट्रैक्ट के दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाये जाने के संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1502/तकनीकी-11/2016/दिनांक 22.03.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। विभाग में भी उपरोक्त ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(राजेश शाक्यवार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

क्रमशः - 3.

// 3 //

20 JAN 2017

पृ.क्र 326/आर-74/2014/2/34

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कार्यालय महालेखाकार, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
5. सचिव, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, म.प्र.जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन, भोपाल।
7. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि./यां. परिक्षेत्र भोपाल।
8. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल समस्त।
9. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, समस्त।

o/c


मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

अधीक्षण यंत्रो मंडलद्वारे

Addendum-1

- 1- BID DATA SHEET – following is added in last Row of Bid data sheet

CLAUSE REFERENCE	PARTICULATS	DATA
22	Additional performance security as per clause – 22.2 of ITB Valid upto	Till stipulated time of completion plus three months

- 2- CONTRACT DATA – following modification is done under clause reference 29 of contract data

CLAUSE REFERENCE	PARTICULATS	DATA
29	Performance Guarantee (Security) valid upto	Performance Guarantee (Security) valid upto Three months beyond the completion of defect liability period (Maintenance Guarantee period) and Additional performance Guarantee valid upto stipulated time of completion plus 03 months

3- SECTION 3- CONDITION OF CONTRACT

Replace Sub Clause 30.3 of clause-30 Security deposits with the following :-

- 30.3- The Security Deposits shall be refunded on completion of defect liability period. The additional performance security shall be refunded on satisfactory completion of the work.


(S.K. Kulkarni)
Deputy Secretary
Government of M.P.
Public Works Department


उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

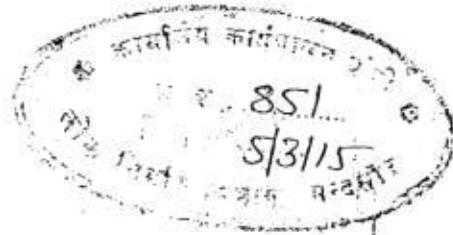
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक आर-46 (1) / बी / 19 / 2015 / 56
प्रति

भोपाल दिनांक 19/1/2015

समस्त मुख्य अभियंता
समस्त अधीक्षण यंत्री
समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग

मध्य प्रदेश ।



विषय:- धरोहर राशि को लौटाये जाने के संबंध में ।

—0—

निविदा प्रपत्र की सेक्शन-2 आई.टी.बी. की कंडिका 17.3 के अनुसार निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले असफल ठेकेदारों की धरोहर राशि निविदा पर निर्णय के 10 दिवस के अन्दर लौटाई जाना है ।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में एल-1 को छोड़कर शेष ठेकेदारों की धरोहर राशि फायनेसियल बिड खोलने के तुरंत बाद लौटाई जाये ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्न:- शून्य

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 19/1/2015

क्रमांक आर-46 (1) / बी / 19 / 2015

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग
2. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन भोपाल ।
3. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग भोपाल
4. श्री पी.कुमार सहायक प्रोग्रामर कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर, परिपत्र ई-मेल से समस्त संबंधितों को प्रेषित किये जाने एवं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित ।

कार्यालय अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग उज्जैन नगड उज्जैन

उप सचिव

क्रमांक 459-1/2014-15 दिनांक 20-2-2015 मध्य प्रदेश शासन

प्रतिलिपि:- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग

उज्जैन/देवास/शाजापुर/रायसेन/भंडारा/मंडला/नीम/मिर्जापुर/सिंदूर/संभाग उज्जैन की ओर अपलोड करने के लिए अग्रेषित है

अधीक्षण यंत्री

क

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय

भोपाल दिनांक /01/2016

आदेश

कमांक एफ-53/16/2012/19/यो राज्य शासन एतद् द्वारा म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश कमांक एफ-53/16/2012/19/यो दिनांक 01.01.2014 से विभाग में सामू नवीन निदिदा प्रपत्र एपेन्डिक्स 2.10 के एनेक्जर-बी में उल्लेखित शर्त अनुसार रुपये 100/- के नान जुडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये रुपये 50/- के नान जुडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के प्रावधान करता है।

सहपत्र- शून्य



म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(सन्दर्भकार/अध्यापक)

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 25/01/2016

ए0 कमांक एफ-53/16/2012/19/यो-447
प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल।
4. महालेखाकार सचिव/भोपाल (मध्य प्रदेश)।
5. उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पुनर्वास नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, नर्मदाघाटी विकास विभाग, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, रसायन प्रसंग विभाग, भोपाल।
10. सचिव, म0प्र0 शासन आवास पर्यावरण विभाग, भोपाल।
11. सचिव, म0प्र0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
12. सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
13. सचिव (संगन्ध) मुख्य सचिव, कार्यालय, म0प्र0 शासन, भोपाल।
14. आगुक्त जनसम्पर्क, मध्य प्रदेश भोपाल।
15. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सड़क विकास निगम, भोपाल।
16. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता) अरेरा हिल्स भोपाल।
17. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
18. परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0 भोपाल।
19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
20. निज सचिव, मानव मंदीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

सहपत्र- शून्य

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

क्रमांक / एफ 17-1/19/बी/2010 मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभाग में आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड बैंक के लिखिते (Instrument) मान्य करने के संबंध में म0प्र0 शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा अपर नर्मदा जोन जबलपुर को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक हैदराबाद शाखा द्वारा बैंक गारंटी के प्रति संग्रहण हेतु भुगतान की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप लिये गये निर्णय दिनांक 28.10.2015 के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निविदाओं में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा जारी लिखिते (Instrument) को भविष्य में मान्य नहीं किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन -
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

पृ. क्रमांक / एफ 17-1/19/बी/2010 / 250, भोपाल दिनांक 8.03.2016
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन भोपाल।
2. परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू0भोपाल।
3. मुख्य अभियंता म0प्र0 सडक विकास निगम भोपाल।
4. समस्त, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (.....उत्तर प्रदेश.....)
5. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. (.....)
6. प्रबंध संचालक, कार्यालय, आई सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड, यादव पटेल लेन, चन्द्रकांत धुरु वाडी दादर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400028
7. आई.टी. सेल कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल आदेश को वेबसाईट पर डाले जाने हेतु प्रेषित है।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय



कार्यालय महानिरीक्षक-पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल
(पंजीयन भवन, लॉट 35-ए, अररा हिल्स, जिला कार्यालय के पीछे, भोपाल - 462011)

प्रमाणंक 1502/ सतानीली-11/2016

भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2016

प्रति

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय: चर्क कॉन्ट्रेक्ट के दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने संबंध।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चर्क कॉन्ट्रेक्ट के दस्तावेज पर दिनांक 14.01.2016 से प्रभावशील प्रावधान के अनुसार न्यूनतम पांच सौ रूपए तथा अधिकतम दूधवीस हजार रूपए के अन्वयेन रहते हुए ऐसे दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत एकम अथवा मूल्य का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रसारित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उपरोक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में चर्क कॉन्ट्रेक्ट के दस्तावेज पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाया जाना सुनिश्चित करें ताकि स्टाम्प शुल्क के रूप में शीशान को प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति न हो।

निर्माण
2016
31/3/16



पृष्ठांकन क्रमांक 1503/ सतानीली-11/2016

भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2016

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।

MD, M.B.M.
0 MAR 2016
P.D. P.W.
Re. Crd. 7



(निर्माण विभाग)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण,
मंत्रालय, भोपाल

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग